अन्तर्गत न्यायालय समाहर्त्ता, समस्तीपुर

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक,1941 का नियम 121)

आदेश पत्रक–ता0 .... से .... तक

जिला :– समस्तीपुर, संख्या 166 सन् 2019

केस का प्रकार :– लोक सभा चुनाव 2019 के अवसर पर दं०प्र०सं० की धारा–144(1) लगाने के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3
8-5-19	**आदेश** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन 2019 की घोषणा दिनांक 10.03.2019 को की गयी तथा निर्वाचन की घोषण की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि दिनांक 27.05.2019 तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के द्वौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु स्थायी आदेश निर्गत है, साथ ही इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.03.2019 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के तहत् निषेद्याज्ञा लागू की गयी, जिसकी अवधि दिनांक 08.05.2019 को समाप्त हो रही है। लोक सभा आम निर्वाचन 2019 अभी प्रक्रियाधीन है तथा इस बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अथवा विद्वेष के कारण गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है एवं निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वातावरण को अशांत एवं भयाक्रान्त करने तथा लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है। अतः **मैं दिवेश सेहरा, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर** संतुष्ट होकर दिनांक 09.05.2019 से दिनांक 27.05.2019 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 (1) के अन्तर्गत धारित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण समस्तीपुर जिला में निम्नांकित निषेघाज्ञा जारी करता हूँ :– (1) पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा होकर जुलूस, सभा बैठक एवं प्रदर्शन नहीं करेगें। (2) किसी भी तरह का अस्त्र–शस्त्र, हथियार, लाठी, भाला, गड़ासा, चाकू, छूरी, बरछी, तीर–धनुष, कुल्हाड़ी, विस्फोटक/अग्नेयास्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित नहीं करेंगे। (3) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता का पूर्णरूपेण अनुपालन करेंगे। <u>अपवाद–</u> (1) शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित अग्नेयास्त्र इत्यादि के उपयोग, उपर्युक्त निषेद्याज्ञा की परिधि से बाहर होगा। (2) सिख धर्मावलम्बियों के लिए कृपाण इत्यादि धारण करने, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परम्परानुसार धारित किये जाने वाले शस्त्र इस निषेद्याज्ञा की परिधि से बाहर होगा। (3) शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक (शादी विवाह इत्यादि) एवं	

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता समस्तीपुर

इस आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आम लोगों की जानकारी हेतु सूचित कर दिया जाय एवं सार्वजनिक स्थल पर चिपका दिया जाय। इस आदेश का तामिला सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी संबंधित पुलिस निरीक्षक/सभी थानाध्यक्ष को स्टेशन डायरी में अंकित कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु भेजी जाय एवं इस आदेश का उल्लंघन करने पर भा०द०वि० की धारा–188 के तहत् कार्रवाई की जायगी।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ आज दिनांक 8.5-2019 को जारी किया गया।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
ह०/–
जिला दण्डाधिकारी,
समस्तीपुर।

ह०/–
जिला दण्डाधिकारी,
समस्तीपुर।

ज्ञापांक :– 1925 / जि.वि., समस्तीपुर, दिनांक 08 मई, 2019

प्रतिलिपिः– वायरलेस ऑपरेटर, समस्तीपुर को सम्वाद सम्प्रेषण हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC), समस्तीपुर को सभी संबंधित को सूचित करने एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकाकरी/सभी थानाध्यक्ष/सभी ओ0पी0 प्रभारी, समस्तीपुर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), समस्तीपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि उक्त आशय की सूचना अपने स्तर से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष/ओ0पी0प्रभारी को भी देना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकरी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, समस्तीपुर

08/5/19
जिला दण्डाधिकारी,
समस्तीपुर।